कम्प्यूटर परिपत्र सं0-आडिट-/ बन्द फर्मो का क0नि0/1112041 / वाणिज्य कर
परिपत्र सं0- 772 / आडिट /

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0
(आडिट अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: 22 जुलाई, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: बन्द फर्मो की जॉच व उनके वादों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

लोक लेखा समिति की विभिन्न बैठको में महालेखाकार उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया है, कि विभागीय जॉच में फर्म बन्द पाई जाती है अथवा व्यापारी के प्रार्थना पत्र के अनुसार फर्म बन्द हो जाती है, किन्तु उनके कर निर्धारण आदेश अविलम्ब पारित नही किए जाते है। इस विलम्ब के कारण व्यापारी लापता हो जाते है और उनसे वसूली की कार्यवाही सम्भव नही हो पाती है। अत: इस संबंध में वैट अधिनियम 2008 के नियम-4 का उपनियम-6 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए बन्द फर्मो के मामलो में अविलम्ब कर निर्धारण / वसूली किए जाने के संबंध में निम्न प्रकार से निर्देश जारी किए जाते है :-

1- जिन मामलो में विभागीय जॉच में फर्म बन्द पायी जाती है अथवा व्यापारी द्वारा फर्म बन्दी की सूचना दी गयी है, ऐसे मामलो में पंजीयन निरस्तीकरण की अविलम्ब कार्यवाही करते हुए व्यापारी के सभी अवशेष वादो का 03 माह के अन्दर निस्तारण कर दिया जाए और मांग सृजित होने की दशा में अविलम्ब वसूली की कार्यवाही की जाए।

2- यदि मासिक रुपपत्र दाखिल करने वाले व्यापारी द्वारा लगातार 03 माहो एवं तिमाही रुपपत्र दाखिल करने वाले व्यापारी द्वारा लगातार 02 त्रैमासो के रुपपत्र व कर जमा नही किया गया है, तो उनके व्यापार स्थल की जॉच तुरन्त कर ली जाए और व्यापार बन्द पाए जाने की दशा में पंजीयन की निरस्तीकरण के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही करते हुए सृजित मांग की अविलम्ब वसूली की कार्यवाही करायी जाए तथा व्यापारी के सभी अवशेष वादो का 03 माह के अन्दर निस्तारण कर दिया जाए और सृजित मांग की वसूली के सार्थक प्रयास किए जाए।

उपरोक्त निर्देशो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और यदि बाद में यह पाया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही न करके विलम्ब से कर निर्धारण किए गए है और इस विलम्ब के कारण व्यापारी लापता हो गए है व उनसे वसूली की कार्यवाही

सम्भव नही हो पा रही है, तो इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इस परिपत्र में दिए गए निर्देशो का शत प्रतिशत अनुपालन कराना जोनल एडीशनल कमिश्नर एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) की जिम्मेदारी होगी।

इस परिपत्र की आवश्यक छायाप्रतियॉ करवाकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को प्राप्त करा दें।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- महालेखाकर (वाणिज्य एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद / शाखा लखनऊ।
3- मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क / कम्प्यूटर / संग्रह / निरीक्षण अनुभागो को 5-5 प्रतियो सहित।
4- निदेशक कर एवं प्रशिक्षण संस्थान, विभूति खण्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
5- आडिट अनुभाग को 25 अतिरिक्त प्रतियॉ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (आडिट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।